भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2571

(दिनांक 06.03.2020 को उत्तर देने के लिए)

स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन

2571. श्री राजवीर दिलेरः

श्री अशोक कुमार रावतः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में अश्लीलता का खुलेआम प्रदर्शन हो रहा है और दूरदर्शन केन्द्र और निजी चैनल भी अश्लील सामग्री के प्रदर्शन में शामिल हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा सेंसर बोर्ड को उचित निर्देश जारी करने सहित उचित कदम उठाए जाने की संभावना है ताकि फिल्मों में मनोरंजन के नाम पर टी॰वी॰ धारावाहिक और सोशल मीडिया पर बेडरूम के दृश्य दिखाकर अश्लीलता फैलाने पर अंकुश लगाया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भारतीय दंड संहिता, स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 और अन्य संबंधित अधिनियमों में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा सामाजिक औचित्य को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) और (ख): दूरदर्शन सहित सभी टीवी चैनलों से अपेक्षा है कि वे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 1994 के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता का अनुपालन करें जिसमें अन्य बातों के साथ यह प्रावधान है कि केबल सेवा में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जाना चाहिए जिसमें किसी भी तरह की अश्लीलता है और जिसमें किसी स्त्री की आकृति, उसके रूप अथवा शरीर या उसके किसी भाग का किसी भी तरीके से चित्रण, इस तरह से स्त्री को बदनाम करता हो जो स्त्री के लिए अशोभनीय या अपमानजनक हो अथवा जिससे सार्वजनिक नैतिकता या नैतिक मूल्यों को कलुषित, भ्रष्ट अथवा उन्हें क्षति पहुंचने की संभावना हो। सरकार ने, समय-समय पर उन निजी टीवी चैनलों को एडवाइजरी और चेतावनी जारी की है जिन्हें उक्त कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन करते पाया गया है।

इसके अलावा, फिल्मों में अश्लीलता रोकने के लिए चलचित्र अधिनियम, 1952 और चलचित्र (प्रमाणन) नियमावली, 1983 और उसके तहत जारी दिशानिर्देशों में पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश) नियमावली, 2011 में अन्य के साथ-साथ मध्यस्थों से यह अपेक्षा है कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उचित सावधानी बरतें और प्रयोक्ताओं को ऐसी किसी तरह की सूचना, जो अन्य के साथ अपमान सूचक, अश्लील, वासना उत्तेजक, बच्चों के प्रति कामुकता वाली और किसी तरह से गैर-कानूनी हो, को स्थापित करने, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, अद्यतन अथवा साझा नहीं करने के लिए सूचित करेगा।

(ग) से (ङ): गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि अश्लीलता सहित अभद्र कृत्यों के मामलों से निपटने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के तहत पर्याप्त प्रावधान हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में विज्ञापनों और प्रकाशनों आदि के माध्यम से स्त्री के अशिष्ट रूपण के प्रतिषेध के लिए प्रावधान है और यह सरकार को दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने हेतु सक्षम बनाता है।

*****